**रजिस्टर्ड/सील्ड**

**उत्तर प्रदेश शासन**
**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2**
**संख्या-480/2020/697/22-2-2020-17(80)/2009**
**लखनऊ:दिनांक: 29 अक्टूबर, 2020**

**आदेश**

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नेवा उर्फ मेवा (बन्दी संख्या-16621) पुत्र श्री मोतीलाल, ग्राम-बिरधा, थाना-तालबेहट हाल थाना-पूराकलां, जनपद-ललितपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-09/1987 में भा0द0वि0 की धारा-147, 307/149, 302/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 31.05.1988 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.12.1988 द्वारा यथावत रखा गया, उक्त बन्दी द्वारा 30 वर्ष से अधिक अपरिहार तथा 58 वर्ष से अधिक सपरिहार सजा भोगे जाने एवं संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

**संख्या-480/2020/697(1)/22-2-2020 तद्दिनांक ..**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।